

Office of The Development Commissioner  
SEEPZ Special Economic Zone  
Government of India  
Ministry of Commerce & Industry  
Andheri (East), Mumbai 400 096  
Tel: 2824613/28246781

F. No. SEEPZ-SEZ/EMS/SC/2013-14/299493 Dated: 22<sup>nd</sup> June 2014

July

CIRCULAR No. 75

It has been observed that some of the Vendors have been seeking relaxation in the existing procedure for registration. i.e the requirement of reference letter from two existing SEEPZ units. The matter has been reviewed by competent authority and it has decided that, hence-forth reference letter from any one of existing SEEPZ units would suffice for registration of Vendors.

Yours Faithfully



(P.S. RAMAN)  
Joint Development Commissioner  
SEEPZ-SEZ

To,

1. All units in SEEPZ-SEZ
2. President, SEEPZ G & J Mfrs. Association.
3. Chairman, SEEMA
4. Regional Director EPCES, BFC bldg, SEEPZ

भारत सरकार  
विकास आयुक्त का कार्यालय,  
सीपज विशेष आर्थिक क्षेत्र,  
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय,  
अंधेरी(पूर्व), मुंबई-400 096.

सं. सीपज- सेज/ संपदा/सुरक्षा/13-14/29/9493

दिनांक:-22 जुलाई,2014

परिपत्र संख्या 75/2014

यह देखने में आया है कुछ विक्रेता पंजीकरण की वर्तमान प्रक्रिया अर्थात सीपज की दो यूनिटों से सन्दर्भित पत्र की आवश्यकता में छूट चाहते हैं। मामले की सक्षम प्राधिकारी द्वारा समीक्षा की गयी और यह विनिश्चय किया गया है कि विक्रेता के पंजीकरण के लिए सीपज की वर्तमान यूनिटों में किसी भी एक यूनिट से सन्दर्भ पत्र पर्याप्त होगा।

(पी.एस.रामन)  
संयुक्त विकास आयुक्त  
सीपज-सेज.

प्रति:-

1. सीपज-सेज सभी यूनिट के लिए।
2. जेम एंड ज्वेलरी के प्रेसिडेन्ट।
3. चेअरमन, सीमा,
4. क्षेत्रीय निदेशक, इपीसीइएस, बीएफसी बिल्डिंग, सीपज-सेज.